न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—20 / 2017 / 75 (2017 / 00020)

1. रामेश्वर लाल पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल, जाति तेली, निवासी कडक्का चौक अजमेर हाल निवासी—83, नगीना बाग, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर । (नगर सुधार न्यास, अजमेर)
2. जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर आदेश क्रमांक / राजस्व / एफ—12 (सी / 03 / 3711) दिनांक 25.2.2004 .

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—20.09.2018

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक राजस्व / एफ—12 (सी / 03 / 3711) दिनांक 25.2.2004 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नंबर 710 रकबा 4—4—0 किस्म बारानी भूमि जो कि अजमेर थोक तेलियान, अजमेर में स्थित है जिसे वर्तमान जमाबंदी में अवैधानिक रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया तत्पश्चात् विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश कमांक राजस्व / एफ—12 (सी / 03 / 3711) दिनांक 25.2.2004 द्वारा अन्य आराजियात के साथ विवादित आराजी को रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरण करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 46 / 2003 रामेश्वरलाल बनाम राज0सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर प्रस्तुत की गई थी । न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.2003 द्वारा स्वीकार की जाकर विवादित भूमि खसरा नंबर 710 रकबा 4—4—0 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया था जिसकी संपूर्ण जानकारी अधी0न्याया0 जिला

कलक्टर, अजमेर एवं तहसीलदार, अजमेर को थी इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने क्षैत्राधिकार से परे जाकर विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित करने के आदेश पारित किये है जो विधि के प्रतिकूल होकर निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.2003 आज दिनांक तक प्रभावी है ऐसी स्थिति में विवादित भूमि जो कि अपीलांट की खातेदारी भूमि है, को अधी0न्याया0 को रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में हस्तातंरण करने का विधिक अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश में दर्शाई गई शर्त के अनुसार भी अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है जबकि शर्त संख्या 6 के अनुसार भी अपीलाधीन भूमि जिसे हस्तातंरित किये जाने का कोई विधिक अधिकार अधी0न्याया0 को नहीं था । विवादित भूमि पर आज दिवस तक भौतिक कब्जा काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त किया जावे ।

4. रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज होने के उपरांत नगर सुधार न्यास, अजमेर को हस्तातंरित की गई है। अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात पर अपना कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 710 रकबा 4–4–00 बीघा वाके अजमेर थोक तेलियान अजमेर का अपीलांट रामेश्वरलाल को न्यायालय हाजा के निर्णय अंतर्गत अपील संख्या 46/2003 रामेश्वरलाल बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.2003 से खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि खसरा नंबर 710 रकबा 4–4–0 बीघा को आदेश कमांक राजस्व/एफ–12 (सी/03/3711) दिनांक 25.2.2004 से अन्य आराजियात के साथ–साथ रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को (नगर सुधार न्यास, अजमेर) को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट ने कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर के हस्तातंरण आदेश की शर्त संख्या 6 के अनुसार विवादित भूमि हस्तातंरित किये जाने का कोई विधिक अधिकार विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को नहीं था किन्तु विवादित भूमि हस्तातंरित किये जाने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अधी0न्याया0 ने एकतरफा में अन्य आराजियात के साथ–साथ अपीलांट की खातेदारी आराजियात को रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित करने में त्रुटि कारित की है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि विवादित आराजियात के संबंध में अपीलांट के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा अंतर्गत अपील संख्या 46/2003 रामेश्वरलाल बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.2003 से खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था जिसे सुना जाना आवश्यक था । हम विद्वान अपीलांट के उक्त कथन से सहमत है कि विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट निर्ण्य व डिक्री दिनांक 21.7.2003 द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने से उसे

सुना जाना आवश्यक था । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/एफ–12 (सी/03/3711) दिनांक 25.2.2004 ग्राम थोक तेलियान, अजमेर के खसरा नंबर 710 रकबा 04–04–00 बीघा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 46/2003 बउनवान रामेश्वर लाल बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.7.2003 वर्तमान में प्रभावी है अथवा नहीं इस तथ्य की जांच कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए हस्तातंरण आदेश की शर्त संख्या 6 के परिप्रेक्ष्य में विवादित आराजियात के संबंध में पुनः निर्णय पारित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर